



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-01.10.2024

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अपराधी प्रिंस कटियार उर्फ छोटू पुत्र नरेन्द्र कटियार निवासी गोला कोहना कोतवाली फतेहगढ़ को जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 313/2024 धारा- 10 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. प्रिंस कटियार उर्फ छोटू पुत्र नरेन्द्र कटियार निवासी गोला कोहना कोतवाली फतेहगढ़

घटना का विवरण:- अभियुक्त प्रिंस कटियार उर्फ छोटू पुत्र नरेन्द्र कटियार निवासी गोला कोहना कोतवाली फतेहगढ़ को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 03.09.2024 को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया जिसका नोटिस अभियुक्त प्रिंस कटियार उर्फ छोटू उपरोक्त को दिनांक 29.09.2024 को बजात खास तामील कराकर जनपद की सीमा के बाहर छोड़ा गया था। अभियुक्त जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आज दिनांक 01.10.2024 को जनपद फर्रुखाबाद की सीमा में कुमार पेट्रोल पम्प के पास मौजूद होने पर मुखविर की सूचना पर कुमार पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त प्रिंस कटियार उर्फ छोटू के विरुद्ध मु0अ0सं0- 313/2024 धारा- 10 यूपी गुण्डा अधिनियम का पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त प्रिंस कटियार उर्फ छोटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 313/2024 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़
- 2-मु0अ0सं0 393/2021 धारा 354क/504/506 आईपीसी व 11/12 पाक्सो एक्ट कोतवाली फतेहगढ़
- 3-मु0अ0सं0 554/2022 धारा 324/504 आईपीसी कोतवाली फतेहगढ़
- 4-मु0अ0सं0 214/2023 धारा 504/506 आईपीसी व 66 आईटी एक्ट को0 फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रक्षा सिंह
2. कां0 सतेन्द्र कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि०- 01.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रतिभान पुत्र देवराज 2. शिव कुमार पुत्र देवराज 3. भंवर सिंह पुत्र निर्मल सिंह 4. अभिषेक पुत्र निर्मल सिंह समस्त निवासीगण ग्राम जाजपुर गोवा कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 290/2019 वाद सं०- 270/2019 धारा- 302/34,323/34 भा०द०वि० कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 01.10.2024 को मा० न्यायालय एडीजे- 01 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्रीमती दीपिका कटियार



कोर्ट मोहर्रि हे०का० प्रमोद कुमार



पैरोकार का० गुलाम गोस